न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 90/2017 दायरा दिनांक : 10.07.2017

उनवान

1– दुर्गाशंकर पुत्र श्री मूलचन्द

2– दूलीचन्द पुत्र श्री मूलचन्द

3– दिनेश पुत्र श्री मूलचन्द

4– राजूलाल पुत्र श्री मूलचन्द

5– प्रेमबाई बेवा मूलचन्द

अकवाम जाति मूघवाल, निवासीगण ग्राम अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– गेंदीलाल पुत्र श्री रतनलाल, जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा

2– रामजानकी बाई पुत्री श्री मूलचन्द पति लेखराज, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती, अकलेरा, जिला झालावाड़

3– रानू बाई पुत्री मूलचन्द पति नरेन्द्र जाति मेघवाल, निवासी सांगोद, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

4– कन्या बाई बेवा मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा

5– शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक अकलेरा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.12.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 244/दावा/2014 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 15.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट गेन्दीलाल ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम केवचीखुर्द, तहसील अकलेरा में खाता नम्बर नया 99 पुराना 177 की आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 356 रकबा 9 बिस्वा कुल 5 किता की 9 बीघा 8 बिस्वा आराजी वादी और प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में स्थित है। इस आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा है। प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 8 का 2/15 हिस्सा है। आराजी वादी और प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में रहने से आये दिन विवाद रहता है

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

और करताराज अदा करने में परेशानी आती है। वादी अपने हिस्से को पृथक करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2016 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की और तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2016 को जारी की गई। न्यायालय हाजा में अंतिक डिक्री की अपील की गई जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.08.2017 को अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.11.2016 को अपास्त किया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण में नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी गेन्दी लाल का वाद डिक्री कर ग्राम केवचीखुर्द, तहसील अकलेरा में खाता नम्बर नया 99 की कुल 5 किता की 9 बीघा 8 बिस्वा आराजी में से वादी का 1/3 भाग, प्रतिवादी 1 ता 7 का 1/5 भाग एवं प्रतिवादी नं. 7 का 1/3 भाग व प्रतिवादी नं. 8 को 2/15 भाग का पृथक पृथक से खातेदार टीनेन्ट घोषित किया तथा तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पक्षकारान में किया जाकर विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। वादी फाईनल डिक्री हेतु नियमानुार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करें। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश हुई। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2016 को राजस्व लोक अदालत अभियान में रेस्पोडेंट कम 1 वादी का वाद अपीलांट सहमति के आधार पर डिक्री करने में त्रुटि की है जबकि अपीलांट के आदेशिका पर

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते

उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर करवाये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों की सर्वथा अनदेखी की है, प्रकरण में जवाबदावे के लिये दिनांक 04.05.2016 तारीख नियत थी, परन्तु पत्रावली को राजस्व अभियान केम्प खारपा में लेकर समस्त पक्षकारान की सहमति के बिना अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का निस्तारण करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.06.2016 से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को वादी स्वयं ही उपस्थित नहीं था, तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादी का वाद डिक्री नहीं करना चाहिए, वादी ने अपने दावे के समर्थन में कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया । ऐसी स्थिति में निर्णय व डिक्री जैर अपील पूर्ण रूप से कानूनी प्रावधानों के विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें समस्त पक्षकारान अपनी सहमति से राजीनामा पेश करें और जिसको अधीनस्थ न्यायालय प्रमाणित करें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2016 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.04.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
लेखा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्राथमिक डिक्री की अपील से पूर्व अन्तिम डिक्री की अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.02.2017 को पेश की गई, जिसमें निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.08.2017 को निर्णय सुनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री की पत्रावली के साथ चल रही थी इस कारण अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 14.08.2017 की पालना पूर्ण नहीं हो सकी ।

न्यायालय हाजा में प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री की अपील साथ–साथ पेश की जानी चाहिए थी, किन्तु अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक 14.08.2017 की अपील के बाद प्राथमिक डिक्री की अपील पेश

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

की गई है। जब अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 14.08.2017 का निर्णय इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किया जा चुका है । अतः प्राथमिक डिक्री की अपील स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2016 यथावत जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/12/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– दुर्गाशंकर पुत्र श्री मूलचन्द
2– दूलीचन्द पुत्र श्री मूलचन्द
3– दिनेश पुत्र श्री मूलचन्द
4– राजूलाल पुत्र श्री मूलचन्द
5– प्रेमबाई बेवा मूलचन्द
अकवाम जाति मेघवाल, निवासीगण ग्राम अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1– गेंदीलाल पुत्र श्री रतनलाल, जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा
2– रामजानकी बाई पुत्री श्री मूलचन्द पति लेखराज, जाति मेघवाल, निवासी नई बस्ती, अकलेरा, जिला झालावाड़
3– रानू बाई पुत्री मूलचन्द पति नरेन्द्र जाति मेघवाल, निवासी सांगोद, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान
4– कन्या बाई बेवा मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी अकलेरा
5– शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक अकलेरा
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. **90/2017** एवं
मु.द.नं0 **244/दावा/2014**

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **15.06.2016**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **28** माह **11** सन् **2022**

हाजरी **श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2016 यथावत जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **12** माह **12** सन् **2022** को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)